न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/133

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नायक निवासी पुरोहित जी की टापरी के पास शिवाजी कॉलोनी कोटा(राज0)।
2. सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नायक निवासी पुरोहित जी की टापरी के पास शिवाजी कॉलोनी कोटा(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. चैन सिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी शिवपुरा भीतरिया कुण्ड कोटा(राज0)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). शभूदयाल विजय– अधिवक्ता अपीलांट
(2). रविन्द्र विजय–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय **दिनांक 31.05.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 176/2014 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 05.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांटगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे गत सेटलमेन्ट से पूर्व की आराजी खसरा नम्बर 301 की 15 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 की 22 बीघा 3 बिस्वा कुल 37 बीघा 16 बिस्वा वादीगण के दादा श्रीकृष्ण बेटा गेन्दीलाल जाति नायक के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड थी। वादीगण के दादा श्रीकृष्ण बेटा गेन्दीलाल उनके जीवनकाल मे उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काबिज रहे, उनकी मृत्यु के

पश्चात उनका एकमात्र पुत्र मोहनलाल मालिक व काबिज रहा और उसकी मृत्यु के बाद वादीगण उक्त आराजी पर मालिक व काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजी के गत सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 423, 419, 427 कायम किये गये। हाल सेटलमेन्ट सम्वत 2038–2058 मे उक्त नम्बरान का एक एकजाई नम्बर 777 रकबा 5.47 हैक्टेयर कायम किया गया, जो सेटलमेन्ट ने गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया, जबकि वादीगण श्रीकृष्ण जी के वारिसान है और उनके पौत्र होने से उनके खाते की जमीन अपने खातेदारी मे दर्ज कराने के अधिकारी है, किंतु सेटलमेन्ट ने बिना वादीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये खातेदारी की भूमि को गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया जो प्रारंभ से ही प्रभावशून्य होने से वादीगण दुरूस्त करवा कर अपने खातेदारी मे दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त आराजी मे से 0.26 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 777 मे से एक टुकड़ा बटा नम्बर 890/777 डालकर गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज कर दिया, जो सेटलमेन्ट को दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। शेष भूमि आज भी सिवायचक दर्ज है। इसलिये वादीगण खसरा नम्बर 777 से बने मिन नम्बर 890/777 एवं खसरा नम्बर 777 का सम्पूर्ण रकबा सेटलमेन्ट बाद जो गलत रूप से सिवायचक एवं प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया था उसे पुनः अपनी खातेदारी मे दर्ज करवाकर इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलिभगत कर गलत रूप से अपना नाम दर्ज करवा लिया है, और आराजी संख्या 890/777 जो खसरा नम्बर 777 का ही एक भाग है, अपने गलत खातेदारी के आधार पर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। एवं प्रतिवादी संख्या 2 सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत रूप से सिवायचक दर्ज की गई भूमि खसरा नम्बर 777 को खुर्द–बुर्द यानि आवंटन करने पर आमादा है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य को रोकने के लिये कोई एवं सेटलमेन्ट द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करवाने हेतु वादीगण को उक्त वाद लाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से कई बार वादीगण ने सेटलमेन्ट द्वारा किये गये गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर आराजी खसरा नम्बर 777 को उसकी खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया किंतु राजस्व अधिकारी नजरअंदाज करते रहे और दिनांक 22.08.2005 को उन्होने दुरूस्ती करने से इंकार कर दिया। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलिभगत कर खसरा नम्बर 777 मे से एक टुकड़ा 0.26 हैक्टेयर का नये नम्बर 890/777 डलवाकर अपने खाते दर्ज करवा ली और गलत खातेदारी के आधार पर उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने की वादीगण को

धमकी दी, और इस हेतु दिनांक 22.08.2005 को मौके पर कुछ लोगों को लाकर भूमि दिखाते हुए बेचान की बात की, और मना करने पर झगड़ा फसाद पर उतारू हो गया, जिस पर वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। अन्त मे वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित किये जान का निवेदन किया कि वे वादपत्र मे वर्णित खसरा नम्बर 301, 305 की रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा आराजी वाके ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिसके गत सेटलमेन्ट उपरान्त नये नम्बर 423, 419, 427 और रकबा 5.47 हैक्टेयर कायम किया गया, और उक्त आराजी को गलत तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया तथा उसमे से एक टुकड़ा बटा नम्बर 890/777 रकबा 0.26 हैक्टेयर कायम कर प्रतिवादी संख्या 1 के खाते मे दर्ज किया गया है, उसके सिवायचक व प्रतिवादी संख्या 1 के खाते से हटाया जाकर वादीगण को उसका खातेदार घोषित कर उक्त खसरा नम्बर 777 का सम्पूर्ण रकबा वादीगण की खातेदारी मे दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड मे इसी अनुरूप दुरूस्त व अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि राजस्व रिकॉर्ड मे सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि को या उसके भाग को खुर्द–बुर्द एवं हस्तांतरित नहीं करे और न किसी अन्य को आवंटित करें, और न ही उक्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलंदाजी करें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से जवाबदावा मय विशेष आपत्तियों प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी जाकर दिनांक 05.05.2022 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2022 से असंतुष्ट होकर वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं न्याय संचिका मे प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आराजी खसरा नम्बर 301 की रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 की रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा कुल 37 बीघा 16 बिस्वा आराजी गत सेटलमेन्ट पूर्व ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे वादीगण के दादा श्रीकृष्ण बेटा गेन्दीलाल जाति नायक, जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, के नाम खातेदारी मे दर्ज थी, जिसकी खाते की नकल प्रस्तुत की गई है। उक्त आराजी के गत सेटलमेन्ट सम्वत 2016 से 2024 के बाद नये नम्बर 423, 419, 427 कायम किये गये है, जिसका मिलान क्षेत्रुफल अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया ळें उक्त आराजी के हाल सेटलमेन्ट सम्वत 2038 से 2057 मे उक्त नम्बरो का एक ही नम्बर 777 कायम कर रकबा 5.47 हैक्टेयर दर्ज कर सिवायचक दर्ज कर दिया है। उक्त गलती सेटलमेन्ट द्वारा की गई है जबकि सेटलमेन्ट को रेवेन्यु रिकॉर्ड मे बिना कोम्पीटेन्ट कोर्ट के आदेश के रद्दोबदल करने का या खाते की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सेटलमेन्ट का उक्त कृत्य प्रारम्भ से ही विद्आउट ज्युरिडिक्शन होने से प्रभावशून्य था, इसलिये वादीगण अपने दादा की भूमि को इन्द्राज दुरूस्ती कराकर अपनी खातेदारी मे दर्ज कराने के अधिकारी है, जो राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य से पूर्व रूप से प्रमाणित था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य व दस्तावेजों से परे जाकर मनमाना आधार बनाकर दावा वादीगण खारिज करने मे भंयकर कानूनी त्रुटि की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92–ए, 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जो साक्ष्य व रिकॉर्ड के आधार पर ही निर्णित किया जाना था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य व रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही खारिज करने मे कानूनी त्रुटि की है। प्रतिवादी द्वारा जो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, उसमे भी प्रतिवादी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है, कि खसरा नम्बर 890/777 की रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज रिकॉर्ड होना स्वीकार है। शेष मद से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई लेना देना नहीं है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावे मे यह भी कथन किया है कि खसरा नम्बर 777 की शेष भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई लेना देना नहीं है।

इसके अलावा जवाबदावे मे कोई अन्य कथन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नही किया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे मुनाफा काश्त पर दिये जाने का कथन करते हुए दावा वादीगण खारिज किया है, जो कि स्पष्ट रूप से दस्तावेज व रिकॉर्ड तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी के जवाब के स्पष्ट रूप से विपरीत जाते हुए मनमाने तौर पर दावा खारिज किया गया है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण के दादा नायक जाति के थे, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्तित्व मे आने के बाद अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है। अनुसूचित जाति की भूमि किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति के खाते मे न तो दर्ज की जा सकती है और न ही वह अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। साथ ही सरकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई ऐसा आदेश ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त भूमि मे से 0.26 हैक्टेयर भूमि खातेदारी मे दर्ज की जा सके, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तौर पर प्रतिवादी संख्या 1 को अनुचित लाभ पंहुचाने की नीयत से दावा खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निर्णय की तारीफ मे नहीं आता है, क्योंकि जो तनकीयात का निस्तारण साक्ष्य व दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है, वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं कर सरसरी तौर पर दावा खारिज किया गया है, और ओपरेटिव पोर्शन मे यह अंकित कर दिया है कि श्रीकृष्ण के खातेदारी की आराजी के आधार पर दावा पेश किया गया है, इसके समर्थन मे वादी द्वारा पेश प्रदर्श–6 मे आराजी को मुनाफा काश्त पर दिये जाने के आदेश है, जिससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी श्रीकृष्ण की खातेदारी की आराजी नहीं थी, क्योकि किसी की खातेदारी की आराजी को मुनाफा काश्त पर देने के लिये निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है। खातेदारी की आराजी को तो स्वयं खातेदार मुनाफा काश्त पर देता है, इस प्रकार स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 301 व 305 वादी के दादा की खातेदारी मे दर्ज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष मे उपरोक्त कथन अंकित कर निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री रिकॉर्ड, दस्तावेज, दावा व जवाबदावा व साक्ष्य आदि आदि से सर्वथा विपरीत हटकर है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री आदेश 6 नियम 1 के तहत प्रथम दृष्ट्या निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1990 पेज 364 से 367, आर.आर.डी. 1993 पेज 5 से 7, आर.आर.डी. 1993 पेज 411 से 413, आर.आर.डी. 1994 पेज 266 से 269, आर.आर.टी. 2001 पार्ट 1 पेज 244 से 249, आर.आर.टी. 2001 पार्ट 1 पेज 596 से

599, आर.आर.टी. 2008 पार्ट 1 पेज 151 से 154, आर.आर.टी. 2013 पार्ट 1 पेज 391 से 397 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2022 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की ।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे अपीलांट वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। दावे व जवाबदावे मे अभिलिखित कथनों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे समुचित तनकीयात कायम की। वादी अपीलांट व प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण की ओर से पत्रावली मे साक्ष्य प्रस्तुत की गई । अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है। जो आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की प्रकिया के अनुसार होने से विधि सम्मत है। अपीलांट का श्रीकृष्ण से कोई सम्बंध ही नहीं है तथा अपीलांट ने कहीं किसी दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया कि ये उनके पौत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2022 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खाता संख्या 53 मे दर्ज खसरा नम्बर 890/777 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1104 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1130 रकबा 1.00 हैक्टेयर सभी की किस्म नहरी प्रथम खातेदार चैनसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत सा. शिवपुरा भितरिया कुण्ड कोटा रहन–बैंक ऑफ इंडिया शाखा अर्जनपुरा कोटा रू 2,82,000/– नामा. न. 192 दर्ज रिकॉर्ड है, तथा नामान्तरण आदेश नं तथा तारीख के कॉलम मे नामान्तरण संख्या 287 रहननामा 26.11.2002 से पुनः सम्पूर्ण खाता रहन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अर्जुनपुरा के दर्ज हुआ अंकित है। प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत 2038 से 2057 ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा की खाता

संख्या 167 मे दर्ज खसरा संख्या 777 रकबा 5.47 हैक्टेयर किस्म बंजड़ सिवायचक काबिल काश्त दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध सम्वत 2038 से 2057 ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा की वर्तमान खसरा संख्या 777 रकबा 5.47 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 421 मीन, 423, 451 मीन दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत 2016 से 2024 ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 109 मे दर्ज खसरा नम्बर 423 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा सिवायचक लगानी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–5 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2016 से 2024 ग्राम रामराजपुरा तहसील लाडपुरा की वर्तमान खसरा संख्या 423 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा के गत खसरा नम्बर 305 मि0 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–6 जमाबंदी सम्वत 1995 से 1998 मौजा रामराजपुरा निजामत लाडपुरा राज कोटा की खसरा नम्बर 301 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा किस्म उतार दोयम तथा खसरा संख्या 305 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा किस्म उतार दोयम कुल किता 2 कुल रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा खातेदार श्रीकृष्ण बेटा गेंदीलाल जात नायक बास गांव दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श डी–1 जांच रिपोर्ट पटवार मण्डल मानसगांव तहसील लाडपुरा की है जो हल्का पटवारी मानसगांव द्वारा दिनांक 10.07.2012 को तैयारशुदा हैं। प्रदर्श डी–2 कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) लाडपुरा का पत्र कमांक/भू.अ./12/6124 दिनांक 11.07.12 का है। प्रदर्श डी–3 साक्ष्य शपथ–पत्र चैन सिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी शिवपुरा भीतरियाकुण्ड, कोटा(राज0) का है। पत्रावली मे उपलब्ध ग्राम रामराजपुरा की नकल बन्दोबस्त सम्वत 1995 से 1998(प्रदर्श–6) के अनुसार खसरा नम्बर 301 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 305 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर श्रीकृष्ण बेटा गेन्दीलाल जाति नायक खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा जिस पर अंकित नोट " हु.मि. 26.07.1939 हस्ब रि. पटवारी ता. 08.07. 1939 कि श्रीकृष्ण की जमीन पड़त है, नेनगा वल्द पन्ना लश्करी चौकी मारवाड़ा का एक आना बीघा मुनाफा करता काश्त कराने की मन्जूरी काश्त हुई, याद्दास्त का नोट लगाया जावे कबूलियत अज तरफ नेनगा .....के है।" इस नोट से प्रतीत होता है कि खातेदार स्वयं का उक्त विवादित आराजी पर काबिज नहीं था। इस प्रकार उक्त रिकॉर्ड बन्दोबस्त सम्वत 1995 से 1998 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण के कथित दादा श्रीकृष्ण पुत्र गेन्दीलाल खसरा नम्बर 301 व खसरा नम्बर 305 की कुल रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड थे। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2016 से 2024 के अनुसार खसरा नम्बर 305 मि0 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा का नवीन खसरा नम्बर 423 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा बना तथा मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 के

अनुसार खसरा नम्बर 423 का नवीन खसरा नम्बर 777 बना है, जिसका कुल रकबा 5.47 हैक्टेयर मे गत खसरा नम्बर 421 मीन व 451 मीन भी शामिल है परन्तु सिवायचक दर्ज है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि पत्रावली मे श्रीकृष्ण का सजरा नहीं होने से वादी के श्रीकृष्ण का पौत्र होने के संबंध मे स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रदर्श– D–2 से संलग्न नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 30.05.1989 के अनुसार खसरा नम्बर 777 कुल रकबा 5.47 मे से 2.00 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 चैनसिंह के पक्ष मे होने से उसके रिकॉर्डेड खातेदार होने की पुष्टि होती है तथा नामान्तरकरण संख्या 23 दिनांक 30.05. 1989 के अनुसार खसरा नम्बर 777 रकबा 5.47 हैक्टेयर मे से आवंटित खसरा नम्बर 777/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि के केचमेन्ट के खसरा नम्बर 1129 रकबा 0.46 हैक्टेयर मोहनसिंह पुत्र किशनसिंह की खातेदारी मे दर्ज होने के उपरांत खसरा नम्बर 777 के शेष बचे रकबे के संबंध मे गणनानुसार स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.05.2022 की तनकी संख्या 6(A) एवं 8(A) के अनुसार खसरा नम्बर 301 से नवीन खसरा नम्बर क्या बने इस संबंध मे प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। खसरा नम्बर 305 से नवीन खसरा नम्बर 423 बना है। जमाबंदी सम्वत 2016 से 2024 मे खसरा नम्बर 423 रकबा 29 बीघा 6 बिस्वा सिवायचक दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038 से 2057 के अनुसार खसरा नम्बर 423 के नवीन खसरा नम्बर 777 रकबा 5.47 हैक्टेयर बने है, जिसमे से 2 हैक्टेयर भूमि चैनसिंह को आवंटन हुई जो नामान्तरण संख्या 17 दिनांक 30.05.1989 से चैनसिंह की खातेदारी मे दर्ज हुई जो आज तक किसी प्रकार से खारिज नहीं होने से खातेदारी बदस्तूर चली आ रही है। प्रदर्श–6 को अपील व वाद मे मुख्य आधार बनाया गया है। उक्त प्रदर्श पर नीचे दिनांक 27.07. 1939 का नोट अंकित है जिसमे उक्त भूमि पड़त बताई है। इसी कारण इस भूमि को नैनगा वल्द पन्ना को एक आना बीघा मुनाफा से काश्त कराने की मंजूरी दी गई। इससे प्रतीत होता है कि भूमि खातेदार के कब्जे काश्त मे नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने भी यही फाइंडिंग दी है कि, संभवतः किसी व्यक्ति की खातेदारी की आराजी को मुनाफा काश्त पर नहीं दिया जा सकता, वरन सिवायचक भूमि को ही मुनाफा काश्त पर दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वादी अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि उक्त प्रदर्श–6 के अतिरिक्त किसी राजस्व रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज मे उक्त विवादित आराजी भूमि पर कब्जे के संबंध मे वादी अपीलांट का नाम अंकित हो। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होते समय वादी अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा था या नहीं ऐसा कोई दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं है।

इसके विपरीत सम्वत 2016 से 2024 मे खसरा नम्बर 423 सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। तहसीलदार की रिपोर्ट D–2 मे भी पटवारी द्वारा उल्लेखित है कि "मौके पर वादी का ना तो कब्जा है, ना ही किसी भी प्रकार से काबिज है। वादी का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है।" अतः प्रस्तुत दस्तावेजों व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वादी विवादित भूमि के खातेदार कृषक घोषित किये जाने योग्य नहीं है। तनकी संख्या 1 पर अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष से हम सहमत है। तनकी(B) –वादी अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाये जिससे सैटलमेन्ट विभाग ने कोई प्रविष्ठी स्वयं के स्तर पर परिवर्तित कर दी हो। तहसील की रिपोर्ट, जमाबंदी सम्वत 2016 से 2024 के अनुसार उक्त भूमि पूर्व मे भी सिवायचक दर्ज थी। प्रस्तुत रिकॉर्ड से वादी के कथनों की पुष्टि नहीं होती है। यह वादी को स्वयं सिद्ध करना था कि सैटलमेंट विभाग ने स्वयं के स्तर से किस प्रकार प्रविष्टि में परिवर्तन किया है। तहसील की रिपोर्ट वादी के कथनों के विपरीत है तथा वादी स्वयं भी इस तथ्य को सिद्ध करने मे असफल रहा है। अतः हम अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित तनकी के निष्कर्ष से सहमत है। तनकी C से G तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तनकी के निष्कर्ष से हम सहमत है। यहा पुनः तनकीवार विषय–वस्तु दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वादी को अपना वाद स्वयं के साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध करना होता है। अपीलांट वादी अपने कथनों के समर्थन मे पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2022 विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2022 मे कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा के प्रकरण संख्या 176/2014 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।
9. निर्णय आज दिनांक 31.05.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2022/133

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नायक निवासी पुरोहित जी की टापरी के पास शिवाजी कॉलोनी कोटा(राज0)।
2. सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नायक निवासी पुरोहित जी की टापरी के पास शिवाजी कॉलोनी कोटा(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. चैन सिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी शिवपुरा भीतरिया कुण्ड कोटा(राज0)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 176/2014

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नायक निवासी पुरोहित जी की टापरी के पास शिवाजी कॉलोनी कोटा(राज0)।
2. सुरेश कुमार पुत्र मोहनलाल जाति नायक निवासी पुरोहित जी की टापरी के पास शिवाजी कॉलोनी कोटा(राज0)।

——वादीगण

बनाम

1. चैन सिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी शिवपुरा भीतरिया कुण्ड कोटा(राज0)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

——प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 176/2014 में न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2012 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 31.05.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री शंभूदयाल विजय, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्र विजय उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की उक्त अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2012 बहाल रखी जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख 31.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा